न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 14/19 **सन् 2019**

बउनवानी :– मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट जरिये तहसीलदार पदाधिकारीगण

1. श्रीदास सिंह राजावत आत्मज श्री कल्याण सिंह राजावत
2. शंकर लाल सैनी पुत्र श्री राधाकिशन सैनी
3. मोहनलाल पुत्र श्री रामदेव सैनी,
4. शक्ति सिंह राजावत पुत्र श्री शिवराज सिंह राजावत
5. देवीशंकर सैनी पुत्र श्री हरनाथ सैनी
6. सुरेन्द्र कुमार नागर पुत्र श्री रामकिशन नागर
7. बनवारी लाल पुत्र चौथ मल सैनी
8. प्रेमशंकर पुत्र भवानी शंकर शर्मा
9. गणेश लाल सैनी पुत्र श्री गंगाराम सैनी
10. कमल कुमार पुत्र श्री छोटूलाल सैनी,

समस्त निवासीयान चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. उपजिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा मे जैरकार प्रकरण सख्या 154/2019 अन्तर्गत 133 सीआरपीसी उनवानी सरकार बनाम मंदिर चौथ माता ट्रस्ट अन्तर्गत धारा 411 जा.फो.)

उपस्थित : 1.श्री आशीष कुमार जैन — वकील प्रार्थी

2. श्री महावीर जाट — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– **दिनांक 14.8.2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा में विचाराधीन प्रार्थना सख्या 154/2019 अन्तर्गत धारा 133 सीआरपीसी उनवानी सरकार बनाम मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट वगै. के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 411 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अप्रार्थी उपजिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा द्वारा दिनांक 14.6.2019 को धारा 133 जा.फो. का आदेश व नोटिस जारी/पारित किया गया है जो बदयांति पूर्वक किया गया है। यह तर्क भी दिया कि माननीय जिला जज साहब सवाईमाधोपुर की अदालत मे प्रार्थीगण ने एक दावा हर्जाना वसूली बाबत विपक्षी के विरूद्व निजी हेसियत मे पेश किया है जो मंदिर चौथ माता ट्रस्ट बनाम राहूल सैनी वगै. मुकदमा नं. 8/2019 है इस मुकदमें से नाराज होकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए विपक्षी ने मनमानी व विधि विरूद्व कार्यवाही को अन्जाम देकर प्रार्थीगण से बदला लेने की ठान रखी है लिहाजा प्रार्थीगण को उपजिला मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा की अदालत मे न्याय की उम्मीद लेशमात्र भी नही है। विपक्षी अपने पद व अधिकारी का दुरूपयोग करते हुए बिना अधिकार के कानून हाथ में लेकर प्रार्थीगण व मंदिर ट्रस्ट को नुकसान पहुँचाने पर अमादा है। तथा विपक्षी ने अपने पद का दुरूपयोग कर मन्दिर ट्रस्ट की सम्पति को तोड फोड कर नुकसान कारित किया था अब पुनः धारा 133 जा.फो. का अवलम्बन लेकर मनमाने तोर पर प्रार्थीगण के नाम

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

50000/– 50000/–रू के जमानती वारण्ट जारी कर प्रार्थीगण व ट्रस्ट को नुकसान पहुँचाना चाहता है। प्रार्थीगण क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा विधि द्वारा स्थापित प्रकिया मे पूर्ण विश्वास रखते है एवं ऐसी कोई दशा विद्यमान नही हैं जिनके तहत प्रार्थीगण को जमानती वारण्ट से तलब किया जावे। उक्त कार्यवाही की आड में विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण पर दीवानी वाद को विड्रा करने का नाजायज दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यह तर्क भी दिया कि विपक्षी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थीगण को आदेश/नोटिस की सत्य प्रतिलिपि बावजूद आवेदन उपलब्ध नही करायी गयी है और उक्त 14.6.2019 की कार्यवाही के नोटिस ट्रस्ट पर भेजे जाने पर प्राप्त हुई है। उक्त सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए विपक्षी के न्यायालय मे जैरेकार उक्त प्रकरण को दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है ।

पैरोकार राजस्व ने विपक्षी उपजिला मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि आमजनता गुणसीला जरिये मुकुट सिह पुत्र कैलाशचन्द मीना ने दिनांक 14.3.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कस्बा चौथ का बरवाडा में कई जगह धर्म के नाम पर अतिक्रमण कर कॉमर्सियल उपयोग किये जाने बाबत शिकायत कर उक्त अतिक्रमण को हटाने बाबत निवेदन किये जाने पर विकास अधिकारी पंचायत समिति एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को जॉच कर संयुक्त रिपोर्ट तलब की गयी । मुताबिक रिपोर्ट गणेश बगीची मेला मैदान के ख0न0 1150 रकबा 47x44 वर्ग मीटर पर निर्माण कर रखा है उक्त स्थान ग्राम पंचायत द्वारा ट्रस्ट को रख रखाव व निगरानी के लिये दिया गया था परन्तु ट्रस्ट द्वारा इसका उपयोग शादी व अन्य व्यवसायिक कार्यो मे किया जाता है। पानी की टंकी को गार्ड रूम के रूप मे उपयोग किया जाता है तथा बगीची के गेट पर ताला लगा रखा है। किले के पास स्थित उद्यान जो ख0न0 1167, 1167/5003 रकबा 47x44x25 वर्गमीटर पर भी ट्रस्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रण कर लगभग 100 हरे वृक्षो का काटा गया है इस उद्यान पर हमेशा ताला लगा रहता है जिसके कारण इसका उपयोग आमजन के लिए नही होता है। इसी प्रकार धोबी धर्मशाला के पास ख0न0 1152 रकबा गै0मु0 चरागाह को समतल करवाकर ट्रस्ट द्वारा पार्किगं के उपयोग लिया जाकर अवैध पत्थरो का खनन भी किया गया है। मैला मैदान मे ख0न0 1163 रकबा 12x21 वर्गमीटर सुलभ शौचालयों का निर्माण कर ट्रस्ट द्वारा व्यवसायिक कार्य मे उपयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार ख0न0 1167, 1167/5003 गै0मु0 आबादी मे कोसमॉस कम्पनी द्वारा किले में निर्माणाधीन होटल का रास्ता बना रखा है जिसका उपयोग केवल निर्माणाधीन होटल की कम्पनी द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा ख0न0 1149 रकबा 68x44 वर्गमीटर पर तीन मंजिला धर्मशाला बना रखी है जिसमे लगभग 100 कमरे है जिनका उपयोग व्यवसायिक कार्यो मे किया जाता है। मुख्य धर्मशाला के पीछे 35x65 वर्गमीटर मे ट्रस्ट द्वारा भोजनशाला का निर्माण कर रखा तथा केंटीन का संचालन कर रखा है जिसको प्रतिवर्ष ट्रस्ट द्वारा ठैके पर दिया जाकर व्यवसायिक कार्यो मे उपयोग किया जाता है। लगभग 90x50 वर्ग मीटर पर ट्रस्ट द्वारा मैरिज गार्डन बना रखा है जिसको शादी समारोह के लिए 30000/–रू में किराये पर दिया जाता है। ट्रस्ट द्वारा मैला मैदान की 65x38 वर्गमीटर भूमि को रिसीवरी मे लिये जाने के बाद नई धर्मशाला का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिये किया जाता है। भैडोला रोड़ पर ट्रस्ट द्वारा 36x44 वर्गमीटर पर खुलखुल माता के मंदिर का निर्माण कर रखा है जिस पर हमेशा ताला लगा रहता है। इसी प्रकार भैडोला रोड़ पर ट्रस्ट द्वारा 26x41 वर्गमीटर पर अनाधिकृत रूप से विश्राम स्थल बना रखा है किन्तु मैन गेट पर हमेशा ताला लगा होने के कारण आमजन के लिए उपयोग नही हो रहा है। ट्रस्ट द्वारा तालाब के पास राजेश्वर मंदिर पर कब्जा कर यात्रियों से रसोई बनाने व शादी समारोह मे खाना बनाने की बदले में मनमाना किराया वसूला जाता है। ख0न0 1049 पर 2 नलकूप खोदकर अतिक्रमण कर रखा है इस प्रकार ट्रस्ट द्वारा कुल 3 है0 भूमि पर अनाधिकृत पुख्ता निर्माण कर उसका उपयोग व्यवसायिक कार्यो में किया जाता है। ट्रस्ट का उक्त कृत्य प्रशासन, न्याय एवं कानून व्यवस्था मे बाधक होने एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनूकूल नही होने एवं जानलेवा प्रतीत होने के कारण 133 सीआरपीसी की नोयत में आने के कारण 133 सीआरपीसी के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅ कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर लगाये आरोपों के संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन के समर्थन में उसके द्वारा ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती हो। किन्तु ट्रस्ट द्वारा उपजिला मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा के पीठासीन अधिकारी के विरूद्व नामजद वाद सिविल न्यायालय में दायर कर रखा है जिसके चलते प्रार्थीगण न्याय प्राप्त होने पर संदेह कर रहे है जिसको मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण जो उपजिला मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा के न्यायालय से दिगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना उचित समझता हूॅ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपजिला मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे जैरकार प्रार्थना सख्या 154/19 अन्तर्गत धारा 133 जा.फो. उनवानी सरकार बनाम मंदिर श्री चौथ माता ट्रस्ट को उपजिला मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा के न्यायालय से उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है। उपजिला मजिस्ट्रेट चौथ का बरवाडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मिसल को दिनांक 30.8.2019 से पूर्व आपके न्यायालय से स्थानान्तरित कर उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 30.8.2019 को न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट सवाईमाधोपुर के न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.8.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.28 17:24:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: